

:: कार्यालय ज्ञाप ::

1/9

शैक्षिक सत्र 2014-15 के विषम संख्यक सेमेस्टर का अध्ययन/अध्यापन 22 जुलाई, 2014 दिन मंगलवार से प्रारम्भ होना निर्धारित है। बी0टेक0/एम0सी0ए0/एम0टेक0 (नवप्रवेशित छात्रों को छोड़ कर) पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त छात्रों का विगत शैक्षिक सत्र के परीक्षा परिणाम के आधार पर वर्तमान शैक्षिक सत्र 2014-15 के विषम संख्यक सेमेस्टर में पंजीकरण निम्नोक्त समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न होगा।

दिनांक	समय	सेमेस्टर
23/07/2014	10:30 बजे पूर्वान्ह	बी0टेक0/एम0सी0ए0 (अन्तिम वर्ष), एम0टेक0 एवं पी0एच0डी0 (समस्त सेमेस्टर)
24/07/2014	10:30 बजे पूर्वान्ह	बी0टेक0 तृतीय वर्ष
26/07/2014	10:30 बजे पूर्वान्ह	बी0टेक0/एम0सी0ए0 (द्वितीय वर्ष)

संस्थान शुल्क का विवरण एतद्साथ उपलब्ध है एवं छात्रों से अपेक्षा है कि तदनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान, निदेशक, एच0बी0टी0आई0, कानपुर के पक्ष में आहरित एवं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की कानपुर शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से शैक्षिक अनुभाग में पटल सहायक से संस्थान शुल्क जमा करने हेतु "पे इन स्लिप" प्राप्त करके संस्थान स्थित सेन्ट्रल बैंक में शुल्क जमा करने के पश्चात् छात्र शुल्क जमा की स्लिप की शैक्षिक प्रति पर संस्थान के लेखा विभाग से सत्यापन/प्रविष्टि उपरान्त छात्रों का पंजीकरण शैक्षिक अनुभाग द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।

विगत वर्षों में यह देखने में आया है कि प्रायः छात्रों द्वारा निर्धारित संस्थान शुल्क से अधिक या अतिरिक्त शुल्क जमा कर दिया जाता है जिसको वापस करने में संस्थान व छात्र दोनों को असुविधा होती है और इस सन्दर्भ में संस्थान के लेखा अनुभाग द्वारा भी होने वाली असुविधा के बावत समय-समय पर अवगत कराया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत समस्त छात्रों से अपेक्षा है कि निर्धारित शुल्क ही जमा करें।

शासन के विभिन्न कल्याण विभागों द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार समस्त संवर्ग (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग/अल्पसंख्यक) के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की पात्रता हेतु वर्तमान में उनके संरक्षक/अभिभावक की समस्त स्रोतों से आय रु0 02.00 लाख वार्षिक से अधिक न हो, निर्धारित है। शासनादेश के क्रम में छात्रों के संज्ञानार्थ यह भी सूच्य है कि संस्थान में पंजीकरण के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र छात्रों को अर्ह होने की स्थिति में पूर्ण शुल्क मुक्ति अनुमन्य होगी तथा अनुसूचित जाति/जनजाति से इतर अन्य संवर्ग के छात्रवृत्ति हेतु अर्ह छात्रों को पंजीकरण के समय पूर्ण संस्थान शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। समस्त संवर्ग के छात्रवृत्ति हेतु अर्ह छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि शासन के सम्बन्धित विभागों द्वारा सीधे छात्र के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी, अतः अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रवृत्ति का लाभ लेने वाले छात्रों से अपेक्षा है कि उनके बैंक खाते में छात्रवृत्ति की धनराशि के हस्तान्तरित होते ही संस्थान के शैक्षिक अनुभाग में छात्रवृत्ति पटल सहायक से सम्पर्क कर दिशा निर्देश उपरान्त औपचारिक कार्यवाही कर संस्थान शुल्क संस्थान खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत जो छात्र पात्र हैं वह इस हेतु निर्धारित प्रपत्र को शैक्षिक अनुभाग से प्राप्त कर लें अथवा संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। छात्रों से अपेक्षा है कि आवेदन पत्रों में दी गई समस्त प्रविष्टियों को वह सुस्पष्ट रूप से पूर्ण कर इन आवेदन पत्रों को पारिवारिक आय प्रमाण पत्र (तीन वर्षों के अन्दर बना हुआ) तथा संवर्ग सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति (प्रमाण पत्रों पर उ0प्र0 शासन की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार 11 अंकों का निर्गमन संख्या अनिवार्य रूप से अंकित होनी चाहिये) एवं माता/पिता/अभिभावक द्वारा छात्र सहित परिवार के दो से ज्यादा सदस्यों के उक्त योजना के लाभार्थी न होने का शपथपत्र अनिवार्य रूप से पंजीकरण की तिथि को सम्बन्धित समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। सम्बन्धित समिति की अनुशंसा के पश्चात् ही छात्र को शुल्क मुक्ति अनुमन्य की जा सकेगी। सम्बन्धित छात्रवृत्ति अनुशंसा समितियों द्वारा अनुशंसित छात्रों का बिना पूर्ण संस्थान शुल्क जमा किये पंजीकरण सम्भव नहीं होगा। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि छात्रवृत्ति की संस्तुति उपरान्त पंजीकरण का कोई भी अनुरोध विलम्ब शुल्क के साथ


पंजीकरण हेतु अन्तिम तिथि दिनांक 07 अगस्त, 2014 के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जायेगा और छात्रवृत्ति सह शुल्क प्रतिपूर्ति के लाभ/पंजीकरण से वंचित रहने का दायित्व पूर्णरूपेण सम्बन्धित छात्र का होगा।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के अर्ह छात्र समय समय पर समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट (<http://scholarship.up.nic.in>) तथा संस्थान वेबसाइट एवं शैक्षिक अनुभाग से सम्पर्क कर उपलब्ध सूचना अनुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें। अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं जिनके द्वारा केन्द्र सरकार की "मेरिट कम मीन्स" योजनान्तर्गत जो आवेदन आन लाइन किये जाते हैं कि एक प्रति समस्त प्रपत्रों की छाया प्रतियों सहित शैक्षिक अनुभाग में पटल सहायक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें।

निर्धारित तिथि के उपरान्त पंजीकरण दिनांक 07 अगस्त, 2014 तक रू0 100/- प्रति कार्यदिवस के बिलम्ब शुल्क के साथ ही स्वीकार किया जायेगा। शैक्षिक सत्र 2014-15 के विषम संख्यक सेमेस्टर में पंजीकरण की कार्यवाही अन्तिम रूप से दिनांक 07 अगस्त, 2014 तक सम्पन्न की जायेगी तदोपरान्त किसी भी दशा में पंजीकरण अनुमन्य नहीं होगा। नियत तिथि तक पंजीकरण न करा सकने से उत्पन्न होने वाली विषम स्थिति का उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र का होगा।

पंजीकरण की तिथि के अगले दिन से शैक्षिक सत्र 2014-15 का नियमित पठन/पाठन कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। छात्र भिन्न है कि विश्वविद्यालय के सम्बन्धित परिनियमों के अनुसार शत प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। विशेष परिस्थितियों में ही उपस्थिति में छात्र को चिकित्सीय आधार सहित 25 प्रतिशत की शिथिलता अनुमन्य है। अतः छात्रों से अपेक्षा है कि वह अपने स्वयं के हित में सत्र के प्रारम्भ से ही अपनी कक्षाओं में नियमित रहें क्यों कि वांछित उपस्थिति न होने के दृष्टिगत छात्र को क्लास टेस्ट/सत्रान्त परीक्षाओं से वंचित कर दिया जायेगा एवं इस हेतु छात्र ही पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।

संलग्नक: यथोक्त।


o/c (पीकेके कमानी)
कार्यो अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप


कार्यालय निदेशक
हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

पत्र सं०: 108/शैक्षिक/पंजी0/2014-15

दिनांक: 15/07/2014

प्रतिलिपि निम्नोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, अनुभाग प्रभारी, कार्यशालाधीक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एच0बी0टी0आई0 कानपुर को संज्ञानार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि इसे विभागीय सूचनापट्ट पर छात्रों के सूचनार्थ प्रदर्शित कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, एच0बी0टी0आई0, कानपुर को दस प्रतियाँ इस अनुरोध के साथ कि इसे छात्रावासों के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करने हेतु सम्बन्धित कर्मियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. परीक्षा नियंत्रक, एच0बी0टी0आई0 कानपुर के संज्ञानार्थ व इस अनुरोध के साथ कि संस्थान में विगत शैक्षिक सत्र में अध्ययनरत समस्त छात्रों के परीक्षाफल के टेबुलेशन रजिस्टर की प्रति शैक्षिक अनुभाग को वर्तमान शैक्षिक सत्र की पंजीकरण प्रक्रिया हेतु विलम्बतम् 17 जुलाई, 2014 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. संयोजक, समय-सारिणी समिति, एच0बी0टी0आई0 कानपुर के संज्ञानार्थ।
5. सम्बन्धित छात्रवृत्ति अनुशंसा समिति, एच0बी0टी0आई0 कानपुर के समस्त सदस्यों के सूचनार्थ।
6. सिस्टम मैनेजर, एच0बी0टी0आई0 कानपुर को इस आशय के साथ कि उक्त सूचना को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. कुलसचिव, एच0बी0टी0आई0 कानपुर।
8. लेखाधिकारी, एच0बी0टी0आई0 कानपुर को इस अनुरोध के साथ कि पंजीकरण तिथियों में छात्र द्वारा संस्थान शुल्क जमा स्लिप की शैक्षिक प्रति पर लेखा विभाग के सत्यापन/प्रविष्टि हेतु उचित व्यवस्था करने का कष्ट करें।
9. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसका संज्ञान ले लें। यदि इस प्रारूप में कोई परिवर्तन हो तो उसे पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह अन्दर अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को अवगत करा दें।
10. शाखा प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, एच0बी0टी0आई0, कानपुर को इस आशय के साथ कि उपरोक्त के दृष्टिगत उपरोक्त तिथियों पर आवश्यक अतिरिक्त व्यवस्था करने का कष्ट करें।
11. वैयक्तिक सहायक निदेशक महोदय को इस अनुरोध के साथ कि इसे निदेशक जी के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।


o/c (पीकेके कमानी)
कार्यो अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप

FEE DETAILS FOR ACADEMIC SESSION 2014-15

		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष
बी0टेक0 (इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी को छोड कर)	सामान्य-नियमित	रु0 55730/- नव प्रवेशित छात्रों पर प्रभावी	रु0 49630/- रु0 55730/- नव प्रवेशित छात्रों पर प्रभावी	रु0 49630/-	रु0 49830/-
	सामान्य-पुनर्प्रवेश प्राप्त	रु0 49630/-	रु0 34630/-** रु0 49630/-***	रु0 34630/-** रु0 49630/-***	रु0 34630/-** रु0 49630/-***
	अप्रवासी-नियमित	\$7000* + रु0 15730/-	\$7000* + रु0 9630/-	\$7000* + रु0 9630/-	\$7000* + रु0 9830/-
	अप्रवासी-पुनर्प्रवेश प्राप्त	\$7000* + रु0 9630/-	\$7000* + रु0 9630/-	\$7000* + रु0 9630/-	\$7000* + रु0 9630/-
बी0टेक0 इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी	सामान्य-नियमित	रु0 70730/- नव प्रवेशित छात्रों पर प्रभावी	रु0 64630/- रु0 70730/- नव प्रवेशित छात्रों पर प्रभावी	रु0 64630/-	रु0 64830/-
	सामान्य-पुनर्प्रवेश प्राप्त	रु0 64630/-	रु0 34630/-** रु0 64630/-***	रु0 34630/-** रु0 64630/-***	रु0 34630/-** रु0 64830/-***
	अप्रवासी-नियमित	\$7000* + रु0 15730/-	\$7000* + रु0 9630/-	\$7000* + रु0 9630/-	\$7000* + रु0 9830/-
	अप्रवासी-पुनर्प्रवेश प्राप्त	\$7000* + रु0 9630/-	\$7000* + रु0 9630/-	\$7000* + रु0 9630/-	\$5000* + रु0 9630/-
एम0सी0ए0	सामान्य-नियमित	रु0 40730/- नव प्रवेशित छात्रों पर प्रभावी	रु0 34630/-	रु0 34830/-	-
	सामान्य-पुनर्प्रवेश प्राप्त	रु0 34630/-	रु0 28630/-** रु0 34630/-***	रु0 28630/-** रु0 34630/-***	-
एम0टेक0 (गेट क्वालीफाइड)		रु0 55730/- नव प्रवेशित छात्रों पर प्रभावी	रु0 49830/-	-	-
एम0टेक0 (नान गेट क्वालीफाइड)		रु0 55730/- नव प्रवेशित छात्रों पर प्रभावी	रु0 49830/-	-	-

नोट: समस्त छात्रों से अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार अपने पर लागू संस्थान शुल्क ही बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा संस्थान में जमा करें। निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि जमा करने की स्थिति में उससे उत्पन्न होने वाली विषम स्थिति के लिये छात्र स्वयं उत्तरदायी होंगे व अतिरिक्त जमा शुल्क का भुगतान सम्बन्धित शैक्षिक सत्र में किया जाना सम्भव न होगा।

* अप्रवासीय भारतीय छात्रों हेतु शुल्क: भारतीय मुद्रा में समतुल्य राशि का भुगतान 1 जुलाई, 2014 को डालर (यू0एस0ए0) के प्रचलित विक्रय मूल्य पर आधारित है। \$7000 = रु0 4,20,249/- एवं \$5000 = रु0 3,00,178/- (@ Rs 60.0355)

** शैक्षिक सत्र 2010-11 से पूर्व संस्थान में प्रवेशित छात्रों पर प्रभावी।

*** शैक्षिक सत्र 2010-11 से संस्थान में प्रवेशित छात्रों पर प्रभावी।

(उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित)
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति
(दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु आवेदन पत्र

शिक्षा सत्र : 2014-15

1. छात्र/छात्रा का पूरा नाम (हिन्दी में) :
 (हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)
 छात्र/छात्रा का पूरा नाम (अंग्रेजी में) :
2. पिता/पति का नाम :
 माता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. लिंग (पुरुष/महिला) :
5. हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष : बोर्ड का नाम:
6. हाई स्कूल का अनुक्रमांक :
7. विद्यालय/संस्था का नाम/पता : **एच0बी0टी0आई0, कानपुर**
8. पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि:
9. पाठ्यक्रम का नाम : पाठ्यक्रम का वर्ष : पाठ्यक्रम की अवधि :
 (अ) पाठ्यक्रम का प्रकार : **संस्थागत**
 (ब) पाठ्यक्रम की पद्धति : **सेमेस्टर**
10. अभ्यर्थी के सेवारत होने की स्थिति में व्यवसाय व वार्षिक आय :
11. आवासीय स्थाई पता :
12. पत्र व्यवहार का स्थाई पता :
13. मोबाइल नं० :
14. दूरभाष/ई-मेल (अनिवार्य) :
15. पिता का व्यवसाय: वार्षिक आय: माता का व्यवसाय: वार्षिक आय:
16. विधिक अभिभावक का नाम व्यवसाय: वार्षिक आय:
 (यदि माता/पिता जीवित न हों)
17. जाति : उपजाति : धर्म :
 (अन्य पिछडा वर्ग के लिये कोड अंकित किया जाय)
18. जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक :
 (सामान्य वर्ग के छात्रों को छोड़कर सभी पर लागू)
19. आय प्रमाण पत्र का क्रमांक :
20. निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक :
21. कक्षा में प्रवेश का प्रकार (फ्री सीट/स्ववित्त पोषित या पेड सीट) :
22. छात्र का खाता संख्या : बैंक का नाम: **सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया**
 शाखा का नाम: **एच0बी0टी0आई0, कानपुर** आई0एफ0एस0सी0 कोड: **CBIN0283288** माइकर कोड : **208016036**
23. विश्वविद्यालय/बोर्ड में पंजीयन क्रमांक :
24. विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम : **उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ**
25. आवासीय छात्र/दिवा छात्र : (आवासीय छात्र की स्थिति में प्रमाण पत्र संलग्न करें)
26. पाठ्यक्रम हेतु अनुरक्षण भत्ते की धनराशि :
 (क) यदि विकलांग है तो विकलांगता का प्रकार भत्ते की दर
 (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

छात्र का
 स्वहस्ताक्षरित व
 संस्थाध्यक्ष के
 प्रतिनिधि द्वारा
 प्रमाणित फोटो

27. पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक नान रिफण्डेबिल अनिवार्य शुल्क की धनराशि:
(पाठ्यक्रम की सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना का विवरण संलग्न करें)

अनिवार्य वापस न की जाने वाली शुल्क का सेमेस्टरवार वार्षिक विवरण	शुल्क की दर	शुल्क निर्धारण हेतु सक्षम प्राधिकारी
शिक्षण शुल्क प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष		

28. गत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि
(क) छात्रवृत्ति (ख) शुल्क
29. गत वर्ष का परीक्षाफल (अंक पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण प्राप्तांक का प्रतिशत
30. विशिष्ट पहचान पत्र आधार कार्ड संख्या (वैकल्पिक) :

घोषणा पत्र

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त प्रविष्टियाँ/सूचनायें सही हैं व मेरे द्वारा ही भरी गयी हैं, मुझे किसी अन्य स्रोत से दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है तथा मैं कहीं भी सेवारत नहीं हूँ। यदि सेवारत हूँ तो मेरी एवं मेरे माता-पिता अथवा संरक्षक की कुल वार्षिक आय रू० दो लाख से कम है। मैंने इस संस्था के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं प्रवेश नहीं लिया है। मैं संस्था के शैक्षिक निर्देशों एवं उपस्थिति का समुचित पालन करूँगा/करूँगी।

आवेदन पत्र में दी गयी यदि कोई सूचना एवं संलग्न निवास, आय व जाति प्रमाण पत्र या अन्य अभिलेख गलत पाये जाये तो छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस कर दूँगा/दूँगी। यदि ऐसा करने में मैं असफल होता हूँ तो विभाग मुझे प्राप्त राशि को राजस्व देयों की भाँति वसूली करने एवं मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

माता/पिता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
(माता/पिता की मृत्यु की दशा में अभिभावक)

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु भरे जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अनुलग्नकों का विवरण

1. छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु साफ अक्षरों में भरा गया सुस्पष्ट आवेदन पत्र।
2. आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर किये जाय व संस्थान स्तर से प्रमाणित किया जाय।
3. आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित) (राजस्व परिषद् की वेबसाइट पर अंकन की पुष्टि हेतु स्वहस्ताक्षरित नेट की प्रति भी संलग्न करें)।
4. सामान्य निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित) (राजस्व परिषद् की वेबसाइट पर अंकन की पुष्टि हेतु स्वहस्ताक्षरित नेट की प्रति भी संलग्न करें)।
5. जाति प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग पर लागू नहीं) (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित) (राजस्व परिषद् की वेबसाइट पर अंकन की पुष्टि हेतु स्वहस्ताक्षरित नेट की प्रति भी संलग्न करें)।
5. पिछले शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति (हाई स्कूल प्रमाण पत्र, अंकतालिका का साथ)।
6. यदि दो कक्षाओं के बीच में गैप हो तो तदआशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित।
7. समस्त वर्ग के छात्रों द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र कि उनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अन्तर्गत हुआ है तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों में विवरण पूर्णतया सत्य एवं सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि/गलती पाये जाने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. यदि छात्र हास्टल में आवासित है तो हास्टल द्वारा प्रदान की गई शुल्क की रसीद की प्रति।
9. छात्र द्वारा संस्थान परिसर स्थित सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, एच0बी0टी0आई0, कानपुर में खोले गये खाते के पासबुक की प्रति।
10. छात्र के माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा 10/- ₹0 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र कि छात्र के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शायी गई आय समस्त स्रोतों से है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई स्रोत नहीं है। यदि किसी प्रकार की जाँच में दर्शायी गयी आय गलत पायी जाती है, उसके लिये हस्ताक्षरकर्ता पूर्णतया जिम्मेदार होगा।

समस्त वर्ग के छात्रों हेतु

7/9

शपथ पत्र

(छात्र/छात्रा द्वारा रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर देय)

समक्ष : निदेशक, एच0बी0टी0आई0, कानपुर/जिला समाज कल्याण अधिकारी

मैं पुत्र/पुत्री श्री जो
ग्राम मुहल्ला जनपद का
निवासी हूँ। शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ :

1. यह कि मैं ग्राम मुहल्ला तहसील
जिला उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ (सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)।
2. यह कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट वर्ग का हूँ।
3. यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे कम है (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र/अभिभावक के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र सहित संलग्न है)।
4. यह कि सम्प्रति मैं शैक्षिक संस्थान के
पाठ्यक्रम में वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ। संस्था
..... विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है।
5. यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूँगा।
6. यह कि मैंने पिछली परीक्षा वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के सम्बन्ध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है। परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।
7. यह कि मुझे दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है।
8. यह कि मेरे बचत खाता संख्या बैंक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के एच0बी0टी0आई0, कानपुर शाखा में खुला हुआ है।
9. उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करे।

दिनांक:

शपथी के हस्ताक्षर

नाम

पिता/पति का नाम

पता

:: सूचना ::

8/9

शैक्षिक सत्र 2014-15 में छात्रों को शासन द्वारा विभिन्न वर्गों के लिये चलाई जा रही दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ अनुमन्य कराने हेतु निम्नोक्त समितियों का गठन किया गया है:

सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति अनुशंसा समिति

1. प्रो० प्रमोद कुमार, आयल एण्ड पेन्ट टेक० अध्यक्ष
2. प्रो० सुनील कुमार, सिविल इंजी० सदस्य
3. डा० अरुण मैथानी, आयल एण्ड पेन्ट टेक० सदस्य

अल्प संख्यक वर्ग छात्रवृत्ति अनुशंसा समिति

1. प्रो० अशोक कुमार, भौतिकी विभाग अध्यक्ष
2. डा० एस०यू० सिद्दीकी, गणित सदस्य
3. श्री जमील अहमद, इलेक्ट्रिकल इंजी० सदस्य

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग छात्रवृत्ति अनुशंसा समिति

1. डा० डी०एल० परमार, सिविल इंजी० अध्यक्ष
2. श्री सी०एन० सिंह, इलेक्ट्रानिक्स इंजी० सदस्य
3. श्री ए०के० शंखवार, इलेक्ट्रानिक्स इंजी० सदस्य

अन्य पिछडा वर्ग छात्रवृत्ति अनुशंसा समिति

1. प्रो० रघुराज सिंह, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी० अध्यक्ष
2. डा० आनन्द कुमार, मैकेनिकल इंजी० सदस्य
3. श्री ब्रजेश सिंह, बी०ई०एफ०टी० सदस्य

शैक्षिक सत्र 2014-15 के विषम संख्यक सेमेस्टर में पंजीकरण निम्नोक्त समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न होगा।

दिनांक	समय	सेमेस्टर
23/07/2014	10:30 बजे पूर्वान्ह	बी०टेक०/एम०सी०ए० अन्तिम वर्ष, एम०टेक० एवं पी०एच०डी० (समस्त सेमेस्टर)
24/07/2014	10:30 बजे पूर्वान्ह	बी०टेक० तृतीय वर्ष
26/07/2014	10:30 बजे पूर्वान्ह	बी०टेक०/एम०सी०ए० द्वितीय वर्ष

सम्बन्धित छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक अर्ह समस्त छात्रों से अपेक्षा है कि वह निम्नोक्त दिशा-निर्देशों का प्रत्येक स्थिति में अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित अनुशंसा समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे :

1. आवेदन पत्र स्वच्छ हस्तलिपि में हिन्दी/अंग्रजी में भरे जाय।
2. श्रेणी के आवेदक द्वारा सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक जैसी स्थिति हो अंकित किया जाय।
3. छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न होंगे :
 - क. तहसील से दिनांक 01/04/2014 के बाद का निर्गत नवीनतम आय प्रमाण पत्र जिस पर 11 अंकों का निर्गम क्रमांक एवं तिथि स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो तथा जो छात्र के माता/पिता/विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से पारिवारिक आय को प्रमाणित करता हो को मूल रूप में संलग्न किया जाय। साथ ही प्राइवेट या सरकारी सेवा में कार्यरत माता/पिता/विधिक अभिभावक अनिवार्य रूप से अपने सेवायोजक द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे।
 - ख. तहसील से निर्गत नवीनतम आय प्रमाण पत्र की इन्टरनेट से डाउनलोडेड प्रति।

- ग. हाई स्कूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाय। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र दिनांक 01/04/2014 के बाद तहसील से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।
- घ. छात्र का बैंक खाता सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, एच0बी0टी0आई0, शाखा का होना चाहिये एवं छात्र बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न करेंगे। नव प्रवेशित प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष (क्षैतिज प्रवेश) के छात्र भी अपना बैंक खाता सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, एच0बी0टी0आई0 शाखा में खोलने के उपरान्त प्राप्त पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति शैक्षिक अनुभाग में प्रस्तुत करेंगे।
- च. अभिभावक द्वारा इस आशय से प्रस्तुत शपथ पत्र कि उसके अधिकतम 02 पाल्यों द्वारा ही छात्रवृत्ति का लाभ लिया जा रहा है (माता पिता की संतानें सिर्फ कन्या होने पर यह नियम लागू नहीं है)।
- छ. छात्र द्वारा पूर्व वर्ष में उत्तीर्ण कक्षा के अंकपत्र की छाया प्रति।
4. आवेदन पत्र पर संलग्न फोटो इस प्रकार प्रमाणित की जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर आये।
5. आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों में जॉचोपरान्त यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो आवेदक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यहाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को यह भी सूच्य है कि छात्रवृत्ति के समिति से संस्तुत आवेदन पत्र विलम्बतम् दिनांक 07 अगस्त, 2014 तक ही स्वीकार्य होंगे एवं विलम्ब से प्राप्त होने वाले छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसके लिये छात्र स्वयं उत्तरदायी होंगे।

ok

(पी0के0 कमानी)

कार्य0 अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप

कार्यालय निदेशक

हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

पत्र सं0: 109/शैक्षिक/छा0वृ0/2014-15

दिनांक: 15/07/2014

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष/सदस्य, समस्त छात्रवृत्ति अनुशंसा समिति के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. शाखा प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, एच0बी0टी0आई0, कानपुर को इस आशय के साथ कि इच्छुक छात्रों का बैंक खाता प्राथमिकता पर खुलवाना सुनिश्चित करें।
3. वैयक्तिक सहायक निदेशक महोदय को इस अनुरोध के साथ कि इसे निदेशक जी के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।
4. सूचना पट्ट, शैक्षिक अनुभाग, एच0बी0टी0आई0, कानपुर।

ok

(पी0के0 कमानी)

कार्य0 अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप